कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 466 **/सी/प्राधि.** **दिनांक** 18 **जून, 2018**

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः अनपेड गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 366/सी/प्राधि. दिनांक 11.01.2018 द्वारा चीनी मिल/समिति स्तर पर अनपेड गन्ना मूल्य की सूचनाएं अद्यावधिक करने एवं अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। आपके परिक्षेत्रों एवं चीनी मिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार किसानों का खाता उपलब्ध न होने के कारण चीनी मिलों एवं समितियों के बैंक खातों में अत्यधिक धनराशि अनपेड गन्ना मूल्य के रूप में पडी हुई है। प्राप्त सूचनाओं के सम्यक अनुशीलन उपरान्त अनपेड गन्ना मूल्य, जो चीनी मिल/समिति स्तर पर भुगतान हेतु अवशेष पड़ा हुआ है, के भुगतान हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:

1. जिन कृषकों का अनपेड गन्ना मूल्य समिति/चीनी मिल स्तर पर बैंक खाता उपलब्ध न होने के कारण भुगतान हेतु शेष है, की गन्ना पर्यवेक्षक सर्किलवार सूची तैयार करा ली जाय।
2. गन्ना सर्वेक्षण में लगाये गये कार्मिकों को सर्किलवार अनपेड गन्ना मूल्य से सम्बन्धित गन्ना किसानों की सूची उपलब्ध कराते हुए सर्वेक्षण के समय सम्बन्धित ग्रामों में कृषकों को गन्ना मूल्य बकाया होने की स्थिति से अवगत कराते हुए उनके बैंक खाते प्राप्त किये जांय।
3. समिति स्तर पर आयोजित होने वाली गोष्ठियों में भी सूची को प्रदर्शित करते हुए सम्बन्धित कृषकों को अवगत कराते हुए बैंक खाते प्राप्त करने के प्रयास किये जांय।
4. अनपेड के रूप में समिति को प्राप्त गन्ना मूल्य की धनराशि को समिति द्वारा एक अलग बैंक खाते (Separate Bank Account) में रखा जायेगा। उक्त खाते में अनुरक्षित अनपेड गन्ना मूल्य की धनराशि का वर्षवार चीनी मिलवार एवं कृषकवार विवरण तैयार किया जायेगा। उक्त बैंक खाते से केवल अनपेड गन्नामूल्य के अलावा समिति के किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
5. कृषकों द्वारा बैंक खाता नम्बर उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस खाते से अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान एडवाइज द्वारा सम्बन्धित बैंक में भेजा जायेगा।

6. सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अपने आपूर्तिकर्ता सदस्यों के 10 प्रतिशत बैंक खातों की जांच/सत्यापन करेंगे।

7. चीनी मिल/समिति स्तर पर अनपेड गन्ना मूल्य की जो धनराशि भुगतान हेतु शेष पडी है उसके भुगतान हेतु अभियान चलाकर 30 सितम्बर, 2018 तक शत प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. जिन जनपदों/परिक्षेत्रों की चीनी मिलों ने अनपेड गन्ना मूल्य लम्बित न होने की सूचना प्रेषित की गई है, परन्तु लम्बित न होने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र नहीं भेजा गया है, उन चीनी मिलों के अनपेड गन्ना मूल्य की स्थिति का पुनः परीक्षण उप गन्ना आयुक्त करलें। यदि मुख्यालय स्तर से जांच में प्रकरण प्रकाश में आयेगा तो सम्बन्धित मिल के बिरूद्ध कार्यवाही के साथ–साथ सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 466 /सी तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रधान प्रबन्धक, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें को इस आशय से कि चीनी मिल में अनुरक्षित अनपेड गन्ना मूल्य का उक्तानुसार भुगतान कराते हुए अनपेड शून्य होने का प्रमाण–पत्र क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना समितियां, उ.प्र.।

(डा.वी.बी.सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियां)
उत्तर प्रदेश।